न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या .73 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सुखलाल सिरवी पुत्र मगाराम जाति सिरवी निवासी पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत		1. राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

—: **निर्णय** :— दिनांक — 01/05/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम पाचुण्डा खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 178, 183, 184, 185, 186, 187 कुल खसरा 06 कुल रकबा 20.8100 हैक्टर व खसरा नम्बर 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161 कुल खसरा 07 कुल रकबा 17.600 हैकटर, खसरा नम्बर 221, से 223, 228 229 कुल खरा 05 कुल रकबा 17.0900 हैकटर,खसरा नम्बर 195, रकबा 1.4100 हेक्टर, खसरा संख्या 87, 88, 89, कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5900 हैक्टर, खसरा संख्या 192, 193 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9300 हैक्टर खसरा संख्या 201 रकबा 0.9300 हैकटर के नाम से प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय जमाबदी में प्रार्थी का नाम सुखलाल सिरवी के स्थान पर सुखाराम दर्ज कर दिया। जो कि पैन ऑफ मिस्अेक सद्भाविक त्रूटिवश दर्ज कर दिया गया। जिसे दुस्तर किया जावें इस प्रकार प्रार्थना पत्र में मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा .पाचुण्डा खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 178, 183, 184, 185, 186, 187 कुल खसरा 06 कुल रकबा 20.8100 हैक्टर व खसरा नम्बर 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161 कुल खसरा 07 कुल रकबा 17.600 हैकटर, खसरा नम्बर 221, से 223, 228 229 कुल खरा 05 कुल रकबा 17.0900 हैकटर,खसरा नम्बर 195, रकबा 1.4100 हेक्टर, खसरा संख्या 87, 88, 89, कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5900 हैक्टर, खसरा संख्या 192, 193 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9300 हैक्टर खसरा संख्या 201 रकबा 0.9300 हैकटर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सुखाराम .के स्थान पर .सुखलाल..दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जबाब पेश कर

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्ये प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना अंकित कर अन्य पैराज कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय जमाबदी में प्रार्थी का नाम सुखलाल सिरवी के स्थान पर सुखाराम दर्ज कर दिया। जो कि पैन ऑफ मिस्टेक सद्भाविक त्रूटिवश दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जावे। जबाब बहस मे कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की सम्पृष्टि होती है। जिससे प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुखलाल होना बखूबी साबित होता है। जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुखाराम के स्थान पर सुखलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा सरहद मौजा ग्राम पाचुण्डा खुर्द तह0 सोजत जिला पाली राजस्थना वर्तमान खसरा नंबर 178, 183, 184, 185, 186, 187 कुल खसरा 06 कुल रकबा 20.8100 हैक्टर व खसरा नम्बर 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161 कुल खसरा 07 कुल रकबा 17.600 हैकटर, खसरा नम्बर 221, से 223, 228 229 कुल खरा 05 कुल रकबा 17.0900 हैकटर,खसरा नम्बर 195, रकबा 1.4100 हेक्टर, खसरा संख्या 87, 88, 89, कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.5900 हैक्टर, खसरा संख्या 192, 193 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9300 हैक्टर खसरा संख्या 201 रकबा 0.9300 हैकटर की कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सुखाराम के स्थान पर सुखलाल सिरवी के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 01/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत